	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 17, शुक्रवार, *शाके* 1947- फरवरी 06, 2026 Magha 17, Friday, Saka 1947- February 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 03, 2026

संख्या एफ. 27(क)(2)गृह-2/2025 पार्ट :-राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 2(1)(u) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साईबर पुलिस थाना कोटपूतली-बहरोडका सृजन करती है। उक्त पुलिस थाने का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण जिला कोटपूतली-बहरोडएवं मुख्यालय कोटपूतली-बहरोडशहर रहेगा और उक्त साईबर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारीहोगा।

उक्त साईबर पुलिस थाना द्वारा निम्न विधियों के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों में जांच/अनुसंधान किया जाएगाः-

1. सूचना प्रोद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 21)
   The Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000)
2. आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 54)
   The Arms Act, 1959 (Central Act No. 54 of 1959)
3. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 31)
   The Emigration Act, 1983 (Central Act No. 31 of 1983)

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

मनीष गोयल ,

संयुक्त शासन सचिव, गृह।

20054

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।